



उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश

## उद्यान कार्ड

वितरण केन्द्र ..... कार्ड संख्या .....

वर्ष

विकास खण्ड .....

1. बागवान का नाम .....
2. बागवान के पिता/पति का नाम .....
3. गांव .....
4. डाकखाना .....
5. तहसील .....
6. जिला .....
7. बागवान के पास कुल भूमि .....
8. बागवान के पास फल पौधों के अन्तर्गत कुल भूमि .....
9. फल पौधों का विवरण :

लगातार ---

[Downloadable Forms](#)

[<< Last](#)

[Continue >>](#)

फल पीधों का नाम	आयु		योग	
	5 वर्ष तक (संख्या)	5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक (संख्या)	10 वर्ष से ऊपर (संख्या)	(संख्या)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी के हिस्से की जमीन का रकबा जमाबन्दी मुताबिक सही है।

हस्ताक्षर पटवारी हल्का  
(दिनांक सहित)

वागवान के हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

प्रधान  
सम्बन्धित ग्राम पंचायत।

उद्यान प्रसार अधिकारी के हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

उपरोक्त एवं पिछले पृष्ठ पर दी गई सूचना एवं सत्यापन के आधार पर पंजीकरण संख्या..... दिनांक..... के अन्तर्गत ऊपर उल्लिखित वागवान की उद्यान कांड संख्या..... जारी किया जाता है।

उद्यान विकास अधिकारी,  
विकास खण्ड के हस्ताक्षर व मोहर  
एवं दिनांक सहित।

[Downloadable Forms](#)

[<< Previous](#)

[Continue >>](#)

**प्रदेश सरकार द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध करवाई गई विभिन्न  
उद्यान सामग्री का ब्यौरा**

दिनांक	वस्तु का नाम	संख्या/मात्रा	उपदान की राशि (रुपयों में)	राशि को अदा की गई (रुपयों में)	बागवान अथवा उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	वस्तु जारी करने वाले के हस्ताक्षर दिनांक एवं मोहर सहित
1	2	3	4	5	6	7

[Downloadable Forms](#)

[<< Previous](#)

[Continue >>](#)

